फाइल सं0 9(4)2017/20वीं सीएसी/आरसीडी/एफ.एस.एस.ए.आई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
विनियमात्मक अनुपालन प्रभाग
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002

दिनांक 22 अगस्त, 2017 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 20वीं बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2017 को पाँचवीं मंजिल, एफ.एस.एस.ए.आई, एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक के सहभागियों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

बैठक का प्रारंभ केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के स्वागत के साथ हुआ। कार्रवाई कार्यसूची के अनुसार हुई।

मद सं0 1: हित का प्रकटीकरण

सदस्यों ने हित का प्रकटीकरण प्रपत्र भर कर प्रस्तुत किया।

मद सं0 2: सी.ए.सी की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सी.ए.सी की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन और अंगीकरण किया गया।

मद सं0 3: की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

1. दिनांक 16.05.2017 को आयोजित सी.ए.सी की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की गई।
2. तेलंगाना और मध्य प्रदेश को खाद्य सुरक्षा आपात कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन का एस.ओ.पी भेजने का अनुरोध किया गया।
3. जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने ऑनलाइन भुगतान से जुड़ने का प्रस्ताव अभी नहीं भेजा है, उन्हें अपनी अनुमोदन प्रक्रिया जल्दी पूरी कर प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।
4. जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने चल प्रयोगशाला के संबंध में संसाधन व्यक्ति नामित नहीं किया है, उन्हें वह नामन यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया।
5. जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने प्रशिक्षण प्रस्ताव, संस्था का नामन और टीओटी अधिकारियों का नामन नहीं भेजा है, उन्हें वह शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया/

मद सं0 20.1: एफ.एस.एस.ए.आई की मुख्य गतिविधियाँ

1. नए मानक और विनियम

प्राधिकरण की 23वीं बैठक द्वारा अनुमोदित मानकों और विनियमों के अद्यतन अपडेटों को सी.ए.सी के सदस्यों ने नोट किया।

2. निरीक्षण की सावधिकता

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परामर्श दिया गया कि वे निरीक्षण लाइसेंसिंग/पंजीकरण डैटा के जोखिम ग्रेड वर्गीकरण के आधार पर करके 15 सितंबर, 2017 तक रिपोर्ट/फीडबैक प्रस्तुत करें।

3. एफ.एस.एम.एस दिशा-निर्देश प्रलेख

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने बेकरी उत्पादों, खाद्य तेलों और वसाओं के बारे एफ.एस.एम.एस दिशा-निर्देश प्रलेख बनाने की जानकारी दी।

4. कारोबारों के लिए संशोधित निरीक्षण चेकलिस्ट

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तम रीतियों और यूरोपीय यूनियन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में तैयार की गई कारोबारों की संशोधित निरीक्षण चेकलिस्ट के बारे में विवरण प्रस्तुत किया।

निर्णीत कार्रवाई –

राज्य/संघ शासित क्षेत्र विभिन्न प्रकार के कारोबारों की प्रस्तावित निरीक्षण चेकलिस्ट के बारे में अपना फीडबैक/सुझाव दें।

मद सं0 20.2 : लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी मुद्दे

1. भुगतान एकीकरण गेटवे

सीआईटीओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने केंद्रीय लाइसेंस के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे की वर्तमान पद्धतियों के बारे में बताया। साथ ही दो अन्य पेमेंट गेटवे जोड़ने के बारे में बताया जिससे सभी प्रमुख बैंक, मास्टर और वीजा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कवर हो जाएँगे। सी.ए.सी की पिछली बैठक के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उन बैंकों का विवरण देने को कहा गया था जिसके साथ वे जुड़ना चाहते हैं। इसके जवाब में गुजरात और मणिपुर ने बताया कि उन्होंने भी जुड़ने और अपने वित्त विभाग से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने बताया कि यदि किसी राज्य को कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय को बताया जाए।

निर्णीत कार्रवाई

जिन राज्यों ने भुगतान एकीकरण का प्रस्ताव नहीं भेजा है, वे अपने वित्त मंत्रालय से यह कार्रवाई शीघ्र कराएँ।

मद सं0 20.3: प्रवर्तन पर चर्चा

1. राज्य और जिला स्तरीय संचालन समिति की भूमिका और उसका गठन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) ने जिला और राज्य स्तरीय संचालन समितियों की बैठकें नियमित रूप से करने पर बल दिया। इन बैठकों में राज्य/संघ शासित क्षेत्र एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों को विशेष आमंत्रिति के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।

सी.ए.सी ने यह भी अनुमोदन किया कि राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अध्यक्ष और हितधारकों को सदस्यों के रूप में रखते हुए किया जा सकता है।

एफ.एस.एस.ए.आई इस संबंध में दिशा–निर्देश शीघ्र भेजेगी। निदेशक, राज्य प्रयोगशाला, एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों की सहभागिता का भी सुझाव दिया गया।

2. प्रवर्तन ढाँचा और गतिविधियाँ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) ने खाद्य सुरक्षा का स्वत: संज्ञान लेने की आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक शीघ्र बनाया जा रहा है। इस सूचकांक से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की कार्यकारिता ज्ञात करने में सहायता मिलेगी। सूचकांक के विभिन्न मानदंड प्रवर्तन, निगरानी, पहलों/जागरूकता और शिकायतों के दक्ष निपटान इत्यादि सभी पहलुओं को शामिल करते हुए तय किए जाएँगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को बताया कि हाल ही में उन्हें एक प्रपत्र भेजा गया था जिसमें उनसे प्रवर्तन के ढाँचे, गतिविधियों और राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एस.ए.नएफ पहलों के बारे में सूचना मांगी गई थी। 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से डैटा प्राप्त हो गए थे। शेष राज्यों को डैटा शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।

अपर आयुक्त, तमिल नाडु ने बताया कि उन्होंने हर ब्लॉक में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिया है और राज्य में 385 ब्लॉक हैं।

सहायक आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया कि राज्य में 608 खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 75 सी.एफ.एस.ओ हैं। उन्होंने हर तहसील/नगर पालिका में एक एफ.एस.ओ नियुक्त किया है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली ने बताया कि उनके 11 जिलों में 272 वार्ड हैं और 8 एफ.एस.ओ काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि विभाग 19 एफ.एस.ओ को नियुक्त करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और 5 अन्य एफ.एस.ओ के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश के प्रवर्तन ढाँचे की सराहना की। उन्होंने कहा कि एफ.एस.ओ की आवश्यकता का आकलन करने के लिए जहाँ संभव हो, राज्य ब्लॉक/तहसील स्तर का नमूना अपनाए।

अरुणाचल प्रदेश ने बताया कि उनके यहाँ अन्य राज्यों से अलग पैटर्न है। उनके राज्य में ब्लॉक दूर–दूर हैं और उनमें जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ उपमंडल स्तर पर 1 एफ.एस.ओ होना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि पूर्वोत्तर के ऐसे राज्यों में अपवाद की छूट दी जा सकती है।

उपायुक्त (खाद्य), गुजरात ने अपने यहाँ निरीक्षण और प्रवर्तन की व्यवस्थाबद्ध गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में एक सक्रिय निगरानी योजना लागू है और इसने एफ.एस.ओ तथा डीओ के लिए मैनुअल भी तैयार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पी.एफ.ए के लगभग 4500 मामलों की जाँच करके विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय को अनुरोध किया है कि इन मामलों को लोक अदालत और अभियोजन के माध्यम से दंड लगाकर अंतिम रूप दिया जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने गुजरात के कार्य की सराहना की और शेष राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पी.एफ.ए अधिनियम के अंतर्गत लंबति मामलों में निर्णय लेकर स्वत: संज्ञान लेकर ऐसे ही कदम उठाने की सलाह दी।

राजस्थान ने बताया कि उन्होंने पी.एफ.ए काल के गलत ब्रांड वाले सभी मामले निपटा लिए हैं।

श्री डी. वी. माहलन ने प्रस्ताव दिया कि जहाँ खाद्य सुरक्षा अपीली ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं की गई है, वहाँ खाद्य सुरक्षा आयुक्त के समक्ष अपील करने का प्रावधान किया जाएगा। अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने बताया कि 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपीली ट्रिब्यूनलें हैं और सुझाव दिया कि शेष राज्य उच्च ज्युडिसियरी की सहायता ले सकते हैं।

अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रमुख, विधि को राजस्थान और गुजरात के निर्णयों के विवरण प्राप्त करके उनका अध्ययन करने को कहा और उसके बाद आर.सी.डी पी.एफ.ए के लंबित मामलों के निपटान के लिए निपटान प्रक्रिया को शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ साझा करे।

निदेशक (आरसीडी) ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वार्षिक रिपोर्ट यथाशीघ्र भेजने का अनुरोध किया, क्योंकि इन रिपोर्टों की संबंधित सूचना संसदीय प्रश्नों सहित विभिन्न हितधारकों को जवाब देने के लिए आवश्यक है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने सी.ए.सी के सदस्यों को 3 से 5 नवंबर, 2017 तक ओयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में बताया और यह भी बताया कि सी.ए.सी की अगली बैठक उसी दौरान होगी, जिससे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ल्ड फूड इंडिया में भाग लेने का मौका मिल सके।

निर्णीत कार्रवाई

i. आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिल नाडु, सिक्किम और तेलंगाना - कृपया राज्यों से मांगा गया प्रवर्तन संबंधी विवरण 10 दिनों के अंदर भेज दें।

ii. राज्य/संघ शासित क्षेत्र कृपया अपने यहाँ एफ.एस.ओ के आवश्यक पदों का विवरण एक सप्ताह के अंदर भेज दें।

3. चाय की थैलियों में स्टैपल पिनों के उपयोग पर रोक

एफ.एस.एस.ए.आई ने सूचित किया कि चाय की थैलियों में स्टैपल पिनों के उपयोग से जनता की सुरक्षा को जोखिम को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्राधिकरण ने संबंधित खाद्य कारोबारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2018 से स्टैपल लगी चाय की थैलियों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात बंद करने का निर्देश दिया है।

4. निगरानी गतिविधियाँ

निदेशक, आर.सी.डी ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रभावी निगरानी प्रणाली को कार्यान्वित करने और अपनी रिपोर्टें एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय को नियमित रूप से भेजने का अनुरोध किया।

मद सं0 20.4: ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश

निदेशक, आर.सी.डी ने बताया कि एफ.एल.आर.एस में ई-कॉमर्स श्रेणी आरंभ की गई है और इसे शीघ्र चालू किया जाएगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि लाइसेंस (राज्य लाइसेंस/केंद्रीय लाइसेंस) पात्रता के मौजूदा मानदंडों के अनुसार जारी किया जाए।

मद सं0 20.5: उपभोक्ताओं से संबंधित पहलें

1. फूड सेफ्टी कनेक्ट की प्रगति

एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में लंबित शिकायतों की तरफ ध्यान दिलाया और उन्हें इन शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा करने तथा इनके समय पर निपटान के लिए अपने डीओ और एफ.एस.ओ को संवेदनशील बनाकर उपभोक्ता में अपनी साख बनाने का परामर्श दिया।

2. वाटर पोर्टल

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने डीओ और एफ.एस.ओ के साथ-साथ खाद्य कारोबारियों को वाटर पोर्टल पर जल परीक्षण के आँकड़े डालने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

3. वेब आधारित खाद्य सुरक्षा अनुपालन पुष्टि प्रणाली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने बताया कि एफ.एस.एस.ए.आई ''नियमित निरीक्षण और प्रतिचयन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फॉस्कोरिस)'' के लिए ऑनलाइन मोबाइल एप तैयार कर रही है। इस एप में एफ.एस.ओ द्वारा निरीक्षण के ऑनसाइट फोटो/वीडियो के साथ-साथ एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा पुनरीक्षित ऑनलाइन निरीक्षण की चेकलिस्ट शामिल है।

नियमित निरीक्षण और प्रतिचयन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फॉस्कोरिस) वह प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानदंडों के अनुपालन की जाँच निरीक्षणों और प्रतिचयन के माध्यम से विनियमात्मक अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है। इससे विनियमात्मक स्टाफ द्वारा खाद्य कारोबारियों का सावधिक निरीक्षण उद्देश्यपरक और पारदर्शी ढंग से नियमित रूप से होना सुनिश्चित होगा। ऐसे निरीक्षण के दौरान मानक अनुपालन मानदंडों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे देश भर में निरीक्षणों के प्रति दृष्टिकोणों में एकरूपता आए।

एन.एफ.सी.एस को एक मोबाइल/टेबलेट और नेट की सुविधा की आवश्यकता होगी। बहुत से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अपने क्लोज्ड यूजर गुप (सीयूजी) हैं और उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को हस्त्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इससे राज्य इस प्रणाली को सीधे अपना सकते हैं। अन्य राज्य एन.एफ.सी.एस के क्रियान्वयन हेतु आंतरिक वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। नाम मात्र की दरों पर बंडल्ड/रेंटल प्लान उपलब्ध कराने वाले अनेक राष्ट्रीय कैरियर हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुरोध किया गया कि वे कनेक्टिविटी/योजनाओं के लिए इस मामले पर उनके साथ कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें।

आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने बताया कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रारंभिक चरण के दौरान प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने पहले तीन महीनों के लिए बंडल्ड/रेंटल योजनाओं का व्यय वहन करने का निर्णय लिया। यह लाभ एनएफसीएस को लागू करने की इच्छा प्रकट करने वाले पहले 10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अधिकतम रुपये 500/- प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से दिया जाएगा।

इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर सी.ए.सी के सदस्यों ने एकमत से सहमति व्यक्त की।

निर्णीत कार्रवाई -

राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने क्लोज्ड यूजर ग्रुप, यदि कोई हो, के विवरण दें अन्यथा फॉस्कोरिस को लागू करने की इच्छा एक महीने में व्यक्त करें।

मद सं0 20.6: प्रयोगशाला के ढाँचे और सहायक प्रणालियों का सशक्तीकरण

1. राज्य/संघ शासित क्षेत्र की खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

सुश्री पायल, आईटी परामर्शदाता ने सी.ए.सी के सदस्यों को इन्फोल्नेट के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। इन्फोल्नेट का विकास एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा किया गया है, जिसे भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क कहा जाता है, जिससे एफ.एस.एस.ए.आई के साथ देश भर की परीक्षण प्रयोगशालाएँ जुड़ जाएँगी। यह प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण सुविधाओं, जनशक्ति और अवसंरचना के संबंध में उपलब्ध कराए गए विवरणों के मार्फत ज्ञान के भंडार का काम करेगा। यह नेटवर्क 5 मुख्य कार्य करेगा:

(क) यह नेटवर्क डीओ/एओ को प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं, उनके भौगोलिक अवस्थापन और उनके कार्यभार के आधार पर नमूनों के आबंटन में सहायता करेगा।

(ख) एफ.एस.एस.आर मानकों के अनुसार मानक प्रभाग द्वारा बनाए गए डैटाबेस के आधार पर सभी प्रयोगशालाओं में एक प्रकार परीक्षण सुनिश्चित कराएगा।

(ग) खाद्य कारोबारियों सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए यह नेटवर्क खाद्य मानकों, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बारे में सूचना लेने के लिए एकल प्लेटफॉर्म का काम करेगा। इसी प्रकार इसके होम पेज पर नमूने को ट्रैक करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ नमूने की हालिया स्थिति देखी जा सकती है।

(घ) इन्फोल्नेट जनशक्ति और अवसंरचना के केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा, जिसका उपयोग एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा प्रयोगशालाओं की प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की आयोजना और मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा।

(ङ) इस नेटवर्क की योजना एफ.एस.एस.ए.आई के मौजूदा कोर आईटी सिस्टमों, यथा लाइसेंसिंग सिस्टम और आयात अनापत्ति सिस्टम, जिन्हें एफ.एल.आर.एस और एफ.आई.सी.एस भी कहा जाता है, के साथ एकीकृत रूप में बनाई गई है।

यह नेटवर्क एफ.एस.एस.ए.आई के सभी प्रभागों, यथा आर.ए.आर.डी, मानक, गुणता आश्वासन इत्यादि के मध्य रीढ़ की हड्डी और संप्रेषण के मॉडल के रूप में कार्य करेगा। इस नेटवर्क पर सृजित सूचना के आधार पर उत्पादों का जोखिम विश्लेषण किया जा सकता है अथवा संबंधित उत्पादों के मानकों में सुधार करने के लिए आँकड़ों का उपयोग किया जा सकता है।

गुजरात, महाराष्ट्र और केरल ने सूचित किया कि उनके यहाँ ऑनलाइन प्रयोगशाला प्रणाली पहले ही है। अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने सी.आई.टी.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई को उनके सिस्टम को इन्फोल्नेट से जोड़ने का निर्देश दिया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पहले ही चालू हो चुके इन्फोल्नेट को अपनाने (और जहाँ यह है, वहाँ उससे एकीकृत करने) का अनुरोध किया और कहा कि वे ऑनलाइन प्रवर्तन गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं।

निर्णीत कार्रवाई –

राज्य/संघ शासित क्षेत्र खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने के लिए इन्फोल्नेट सिस्टम का अंगीकरण अथवा एकीकरण करें।

2. चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एम.एफ.टी.एल)

सलाहकार (गुणता आश्वासन) ने सी.ए.सी के सदस्यों को सूचित किया कि एम.एफ.टी.एल, जिसे "चल खाद्य सुरक्षा" नाम दिया गया है, खाद्य परीक्षण, जन शिक्षा और जागरूकता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुद्देश्यीय वाहन है। मोबाइल यूनिट विभिन्न खाद्य पदार्थों में आम मिलावटों की जाँच करने के लिए गुणात्मक परीक्षण द्रुत गति से करने हेतु आधारभूत अवसंरचना से सुसज्जित पूरी तरह चालू प्रयोगशाला है।

अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने अरुणाचल प्रदेश, गोआ, झारखंड, जम्मू और काश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड को ''चल खाद्य सुरक्षा'' की नौ मोबाइल यूनिटें रवाना कीं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने बताया कि इन प्रयोगशालाओं को इन्फोल्नेट के साथ भी जोड़ा जाएगा और इनमें जागरूकता लाने और प्रशिक्षण क्षमता-निर्माण के लिए निम्नलिखित तीन मैनुअल होंगे:-

क) योजना के दिशा-निर्देश;
ख) प्रचालन मैनुअल;
ग) खाद्य की आम मिलावटों की साधारण परीक्षण पद्धतियों का मैनुअल।

3. राष्ट्रीय दुग्ध गुणता सर्वेक्षण

निर्णीत कार्रवाई –

(क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पुनर्वैधीकरण/पुनर्प्रतिचयन डैटा भेजने हैं।

(ख) यदि राज्यों ने अभी राज्य स्तरीय संचालन समिति न बनाई हो, तो उसे

बनाएँ, जिससे दुग्ध सुरक्षा और गुणता की नियमित निगरानी और मॉनिटरिंग का सिस्टम बन सके।

मद सं0 20.7: प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने सी.ए.सी को खाद्य कारोबारी प्रशिक्षण के इस ईकोसिस्टम के बारे में बताया कि फोस्टैक के आयोजन के पीछे मुख्य अवधारणा खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण के ढाँचाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से स्व-अनुपालन के लिए समर्थ बनाना है। फोस्टैक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रशिक्षण शामिल हैं। इसे विभिन्न प्रकार के खाद्य कारोबारों के लिए चरणबद्ध रूप में आरंभ किया जाएगा। विभिन्न समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रैक्टिशनरों के सहयोग से आधारभूत, उन्नत और विशेष 3 स्तरों का बनाया गया है। फोस्टैक की सफलता सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों की सहभागिता पर निर्भर करती है, क्योंकि पर्याप्त प्रशिक्षण स्टाफ उपलब्ध हो जाने पर लक्ष्य अंतत: प्रत्येक खाद्य कारोबार में कम से कम एक प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक सुनिश्चित कराना है। इस संबंध में एफ.एस.एस.ए.आई शीघ्र ही एक आदेश जारी करेगी।

मद सं0 20.8: सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

1. **सुरक्षित और पोषक आहार (एस.एन.एफ) पहल – राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भूमिका**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने सी.ए.सी के सदस्यों को बताया कि चंडीगढ़ ने ''सुरक्षित और पोषक आहार'' ध्वज के तले एस.एन.एफ पहलों (एस.एन.एफ@होम, एस.एन.एफ@स्कूल, एस.एन.एफ@रेस्टोरेंट्स और स्वच्छ स्ट्रीट फूड) का अंगीकरण कर लिया है।

निर्णीत कार्रवाई –

राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने यहाँ अनेक संपर्क कार्यक्रमों, खाद्यकर्मियों के लिए कार्यशालाओं/ प्रशिक्षणों के आयोजन इत्यादि के माध्यम से जन जागरूकता लाकर इन पहलों का अंगीकरण कर इन्हें लागू करें और एफ.एस.एस.ए.आई को उसकी कार्य योजना बताएँ।

2. **खाद्य पौष्टिकीकरण**

स्मिता मनकाड, प्रमुख, एफ.एफ.आर.सी ने सी.ए.सी को इसकी पिछली बैठक के बाद खाद्य पौष्टिकीकरण के क्षेत्र में हुए विकासों से अवगत कराया –

(क) **केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा खाद्य पौष्टिकीकरण पर हाल ही में दो महत्वपूर्ण निर्देश** दिए गए हैं, अर्थात्,-

I. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश [डी.ओ. सं0 14-10/2016/एमडीएम 1-2(ईई.5)], जिसमें राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पौष्टित गेहूँ के आटे, पौष्टित खाद्य तेल और दोहरे पौष्टित लवण का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है, दिनांक 2 अगस्त, 2017.

II. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश (डी.ओ. सं0 25/16/2015-पोषण डेस्क), जिसमें राज्यों को आई.सी.डी.एस के अंतर्गत पौष्टित गेहूँ के आटे, पौष्टित खाद्य तेल और दोहरे पौष्टित लवण का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है, दिनांक 10 जुलाई, 2017.

इनसे राज्य स्तर पर पौष्टित खाद्य के अंगीकरण का बहुत सशक्त मामला बनता है और इसे स्थानीय संबंधित मंत्रालयों के ध्यान में व्यापक रूप से लाया जाए।

(ख) एफ.एफ.आर.सी द्वारा राज्यों से संपर्क और राज्यों की उत्तम रीतियाँ

खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी) पिछले कुछ महीनों से समर्पित संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रमों अर्थात् एम.डी.एम, आई.सी.डी.एस. और पी.डी.एस में पौष्टित आहार शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आशय के पत्र भेजे गए हैं कि वे राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो सभी पौष्टिकीकरण गतिविधियों का समन्वयन करेगा। कुछ राज्यों, जैसे **कर्नाटक और झारखंड**, ने इस बारे में पहल कर दी है और वे राज्य/संघ शासित स्तर पर एक कार्यकारी दल की स्थापना करके और एफ.एफ.आर.सी के प्रतिनिधियों को शामिल करके पौष्टित आहार अपनाने के लिए स्वत: सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं।

एफ.एफ.आर.सी पौष्टिकीकरण के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित सभी प्रकार का तकनीकी सहयोग कर रहा है और जानकारी उपलब्ध करा रहा है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की मैपिंग और लैंडस्केप विश्लेषण, पौष्टिकीकरण के लिए दखल हेतु उचित बिंदु, प्रशिक्षण और क्षमता-

निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर सहयोग के लिए विकास भागीदार से जुड़ाव, उपकरणों और प्रीमिक्स के आपूर्तिकर्ताओं से लिंक, पौष्टिकीकरण के लिए कुल आवर्धी लागत ज्ञात करना, मानकीकृत निविदा प्रलेख और तकनीकी मैनुअल और प्रशिक्षण मैनुअल शामिल हैं। राज्यों के एफ.एस.सी को पौष्टित आहार को शामिल कराने पर बल देने के लिए कार्यकारी दल गठित करने और आवश्यक सहायता के लिए एफ.एफ.आर.सी से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(ग) **खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पौष्टिकीकरण प्रशिक्षण** के लिए जहाँ तक प्रशिक्षण सामग्री का संबंध है, प्रशिक्षण मैनुअल बनाकर उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। इस प्रशिक्षण मैनुअल में निम्नलिखित सहित खाद्य पौष्टिकीकरण के विभिन्न पहलू शामिल होंगे:

- खाद्य पौष्टिकीकरण – परिचय
- विभिन्न वस्तुओं के पौष्टिकीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया
- खाद्य पौष्टिकीकरण के मानक
- खाद्य पौष्टिकीकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका
    - प्रीमिक्स हैंडलिंग और भंडारण
    - पैकेजिंग और लेबलिंग अपेक्षाएँ
    - लाइसेंसिंग और पंजीकरण
    - उत्पाद प्रतिचयन और विधिक प्रक्रियाएँ
    - पौष्टिकीकरण संघटकों के परीक्षण की झलक

प्रसार और प्रशिक्षण के लिए 2 ट्रैकों का अनुसरण किया जाएगा – (1) नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए – खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशिक्षण के अंग के रूप में 2 घंटे का माड्यूल, (2) कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए – इसे प्रस्तुतीकरण, वीडियो और मैनुअल के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

इसे प्रशिक्षण प्रभाग/आर.सी.डी द्वारा नियमित अंतरालों के बाद आयोजित किए जा रहे पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा।

निर्णीत कार्रवाई –

राज्य/संघ शासित क्षेत्र एफ.एफ.आर.सी, एफ.एस.एस.ए.आई के टीम सदस्यों की सहायता से इस मद को लागू करें।

मद सं0 20.9: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मामले

समिति ने बैठक में परिचालित केरल, गोआ और हरियाणा राज्यों के कुछ मामलों से संबंधित मदों और उन पर स्पष्टीकरण को नोट किया।

मद सं0 20.10: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद

कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने बताया कि वे निधि के अभाव में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अभियान चलाने, स्टाफ प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित करने और एस.एन.एफ पहलों पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।

निर्णीत कार्रवाई : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र लाइसेंस/पंजीकरण से प्राप्त शुल्कों का उपयोग विभिन्न गतिविधियों उदाहरणार्थ आई.ई.सी (एस.एन.एफ पहलें), स्टाफ प्रशिक्षण (फोस्रेस्ट) और खाद्य कारोबारियों के प्रशिक्षण (फोस्टैक) पर कर सकते हैं।

बैठक अध्यक्ष महोदय और सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

(राजेश सिंह)
निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)
एफ.एस.एस.ए.आई

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

अनुबंध – I

दिनांक 22 अगस्त, 2017 को एफडीए भवन, नई दिल्ली में आयोजित सी.ए.सी की 20वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई और अध्यक्ष, सी.ए.सी के अनुरोध पर बैठक में भाग लिया।

क. सी.ए.सी के सदस्य

1. श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई – **अध्यक्ष, सीएसी**

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त:

2. डॉ. मृणालिनी दर्सवाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
3. श्री पी. वी. नरसिंह राव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़
4. श्री रविंद्र प्रताप सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिशा

विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य (प्राइवेट सदस्य):

5. डॉ. सुशील कुमार, अध्यक्ष, वैज्ञानिक समिति
6. डॉ. दीपा भाजकर, 'डी' टेक्नोलॉजी
7. श्री बी.के. मिश्रा, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन
8. सुश्री निरुपमा शर्मा, महासचिव, इन्फैंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन कौंसिल ऑफ इंडिया
9. श्री डी.वी. मल्हन, कार्यकारी सचिव, आल इंडिया फूड प्रोसर्स एसोशिएशन
10. श्री टी. पी. राजेंद्रन
11. श्री एस.एस. मारवाहा, कोऑर्डिनेशन संटर फॉर एप्लाइड एग्रीकल्चर

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि:

12. श्री के. एन. स्वरूप, संयुक्त खाद्य नियंत्रक, आंध्र प्रदेश
13. श्री लोकम मांघा, सहायक खाद्य नियंत्रक, अरुणाचल प्रदेश
14. श्री एस. आर. नामपुई, अभिनामित अधिकारी (मुख्यालय), असम
15. श्री सुखविंदर सिंह, अभिनामित अधिकारी, चंडीगढ़
16. सुश्री दीपिका चौहान, उपायुक्त (खाद्य), गुजरात
17. श्री डी. के. शर्मा, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), हरियाणा
18. श्री एल. डी. ठाकुर, अभिनामित अधिकारी, हिमाचल प्रदेश
19. श्री संजीव कुमार, सहायक नियंत्रक (खाद्य), जम्मू एवं कश्मीर
20. श्री चतुर्भुज मीणा, खाद्य विश्लेषक और कोऑर्डिनेटर, झारखंड
21. डॉ. अश्वनी देवांगन, सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़
22. डॉ. श्रीनिवासा गौडा, संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
23. डॉ. हर्षवर्धन, उपायुक्त, कर्नाटक
24. श्री के. अनिल कुमार, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), केरल
25. श्री एस.टी. ठांकचान, केरल

26. श्री अरविंद पाथरोल, वरिष्ठ खाद्य नियंत्रक, मध्य प्रदेश
27. श्री सी. बी. पवार, संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र
28. श्री एन.एस. मसारे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र
29. श्री संजीवी मेतेई, खाद्य विश्लेषक, मणिपुर
30. श्री एस. एन. संगमा, संयुक्त आयुक्त, मेघालय
31. डॉ. जयतकर राय, अतिरिक्त स्थानीय आयुक्त, पुदुचेरी
32. श्री अशोक कुमार, लोक विश्लेषक, पंजाब
33. डॉ. आदित्य अत्रेय, राजस्थान
34. डॉ. के. वनजा, निदेशक और अतिरिक्त आयुक्त, तमिल नाडु
35. श्री शिव लीला सी., निदेशक, तेलंगाना
36. श्री ए. विश्वंत रेड्डी, सहायक खाद्य नियंत्रक, तेलंगाना
37. श्री आर. एस. रावत, अभिनामित अधिकारी, उत्तराखंड
38. श्री एच. एस. सिंह, सहायक आयुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश

ख. मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रिति

39. श्री आशीष गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
40. श्री महेंद्र विक्रम सिंह, वाणिज्य मंत्रालय
41. श्री एच. एस. बिष्ट, निदेशक, सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय
42. सुश्री मधुमिता, सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
43. श्री एस. के. वर्मा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
44. श्री आर. के. गुप्ता, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
45. डॉ. एस. मुखर्जी, उप तकनीकी सलाहकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय

ग. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

46. सुश्री माधवी दास, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी
47. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
48. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)
49. डॉ. एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)
50. श्री एस. के. यादव, निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन/आयात)
51. श्री राज सिंह, प्रमुख (पीसी और जीए)
52. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (जोखिम आकलन)
53. श्री राजेश सिंह, निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
54. श्री पी. मुतुमारान, निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र
55. श्री तन्मय प्रसाद, सीआईटीओ
56. श्री प्रवीण जारगर, संयुक्त निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)
57. डॉ. ए. सी मिश्रा, संयुक्त निदेशक (मानक)
58. सुश्री पृथा घोष, उप निदेशक (प्रशिक्षण)
59. सुश्री अनिता मखीजानी, उप निदेशक (तकनीकी)

60. श्री कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम/कोडेक्स)
61. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)
62. श्री अखिलेश गुप्ता, सहायक निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)
63. श्री मदन मोहन, सहायक निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)
64. श्रीमती रेम्या, सहायक निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)
65. श्री ए. रस्तोगी, सहायक निदेशक (निगरानी)
66. सुश्री मोनिका पूनिया, सहायक निदेशक (पोषण)
67. सुश्री अरुणा, सहायक निदेशक (क्यूए)
68. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (पी.सी. एंड जी.ए)
69. सुश्री स्मिता मनकड, प्रमुख, एफ.एफ.आर.सी
70. सुश्री वर्षा गुप्ता, वैज्ञानिक–IV (क्यूए)
71. सुश्री अर्चना तिवारी, वैज्ञानिक–IV (क्यूए)

*किसी नाम की वर्तनी में रही कोई गलती गैर-इरादतन है, जिसके लिए खेद है।

अनुबंध 2

बैठक से उभरे कार्रवाई के मुद्दे:

बैठक में हुई चर्चा के बाद कार्रवाई के निम्नलिखित मुद्दे उभरे:

क. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कार्रवाई के मुद्दे

1. तेलंगाना और मध्य प्रदेश भारत के लिए खाद्य सुरक्षा आपात कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन के लिए एस.ओ.पी तैयार करें।
2. राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिस बैंक से जुड़ना चाहते हैं, उसका विवरण 10 दिनों के अंदर भेजें।
3. राज्य/संघ शासित क्षेत्र विभिन्न प्रकार के कारोबारों के निरीक्षण की प्रस्तावित चेकलिस्ट पर अपना फीडबैक/सुझाव भेजें।
4. आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिल नाडु, सिक्किम और तेलंगाना राज्यों से मांगे गए प्रवर्तन विवरण 10 दिनों के अंदर भेजें।
5. राज्य/संघ शासित क्षेत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अपनी आवश्यकता का विवरण एक सप्ताह में भेजें।
6. राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने क्लोज्ड यूजर ग्रुप, यदि कोई हो, के विवरण भेजें, अन्यथा फॉस्कोरिस को क्रियान्वित करने की इच्छा 1 माह के अंदर प्रकट करें।
7. राज्य/संघ शासित क्षेत्र राष्ट्रीय दुग्ध गुणता सर्वेक्षण के पुनर्वैधीकरण/पुनर्प्रतिचयन संबंधी डैटा भेजें।

ख. एफ.एस.एस.ए.आई के लिए कार्रवाई के मुद्दे

1. प्रमुख, विधि राजस्थान और गुजरात से निर्णय संबंधी विवरण प्राप्त करें और आ.सी.डी शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लंबित पी.एफ.ए मामलों को निपटाने के लिए उनके साथ प्रक्रिया साझा करे।

--